छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
/ /अधिसूचना/ /

नया रायपुर दिनांक २० सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 20–36/2017/11/6 : राज्य शासन एतद! द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–6 (अ) स्टार्ट अप पैकेज के बिन्दु 9.2 अनुसार अधिसूचित किराया अनुदान योजना को दिनांक 24 नवम्बर 2016 से क्रियान्वित करने के लिये **छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट अप किराया अनुदान नियम 2016** निम्नानुसार लागू करता है :–

1 परिचय :–

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ की स्टार्ट अप इकाईयों को विशेष सुविधाएं प्रदान करे के लिए राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014–19 में अधिसूचना क्रमांक एफ 20–36/2014/11/6 दिनांक 24 नवंबर 2016 के द्वारा संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के तहत् राज्य शासन की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित योजनाओं में स्टार्टअप का एक नया वर्ग अधिसूचित किया है।

औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–6 (अ) स्टार्ट अप पैकेज में बिन्दु 9.2 में किराया अनुदान की नवीन योजना लागू करने का प्रावधान है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट अप यूनिट्स को वैध रहने पर 03 वर्षो तक किराये के भवन में स्टार्ट अप यूनिट स्थापित करने की दशा में, पटाये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रूपये प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम राशि रूपये 8000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जायेगी।

2 नियम :– ये नियम " **छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट अप किराया अनुदान नियम 2016**" कहे जायेंगे।

3. प्रभावशील तिथि :– ये नियम **दिनांक 24 नवम्बर, 2016** से प्रभावशील होंगे।

4 परिभाषाएं :–

(1) इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 अनुसार अधिसूचित परिभाषाएं लागू होगी।

(2) स्टार्ट अप की वही परिभाषा मान्य होगी, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2016 को अधिसूचित की गई है। उक्त परिभाषा में समय समय पर भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन मान्य होंगे।

5 पात्रता :–

छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्ट अप को किराया अनुदान की पात्रता होगी। यह पात्रता निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :–

1. स्टार्ट अप पैकेज हेतु निवेश की कोई न्यूनतम बाध्यकारी सीमा नहीं होगी।
2. अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय भी उद्योग/सेवा का वैध स्टार्ट अप यूनिट होना आवश्यक है।
3. स्टार्ट अप की परिभाषा की वैधता अवधि पांच वर्ष/अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय यदि उद्यम/सेवा, स्टार्ट अप में वैध नहीं रह जाता है तो शेष अवधि के लिये किराया अनुदान की पात्रता नही होगी।

4. यदि उद्यम/सेवा स्थापित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने की तिथि से ही प्रारंभ होगी।

5. स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता हेतु अनुदान की दर एवं मात्रा वह होगी, जो अधोलिखित बिन्दु क्र. 6 के तहत् दर्शायी गई है। स्टार्ट अप पैकेज हेतु औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की कोई श्रेणी नहीं होगी।

6. भारत सरकार से स्टार्ट अप का पंजीयन होने के आधार पर यदि भारत सरकार द्वारा किराया अनुदान स्वीकृत किया गया है तो इस पैकेज के तहत् किराया अनुदान राज्य शासन से प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी।

7. स्टार्ट अप पैकेज का लाभ उद्योग/सेवा को प्राप्त करने की पात्रता तब तक ही रहेगी, जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है।

8. स्टार्ट अप पैकेज के अंतर्गत किराया अनुदान की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया वेबसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा।

9. यदि उद्यम/सेवा प्रस्तावित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने के पश्चात् तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् ही अधिसूचना के प्रावधान अनुसार होगी ।

6 अनुदान की मात्राः–

छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट अप यूनिट्स को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, किराये के भवन में स्टार्ट अप यूनिट स्थापित करने की दशा में, पटाये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम राशि रू. 8000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जायेगी।

किराये की राशि में मूल किराया ही सम्मिलित होगा, पेनाल्टी, ब्याज, संधारण चार्ज, विद्युत व्यय, जल व्यय व अन्य कर सम्मिलित नहीं किये जावेंगे।

7 प्रक्रिया व अधिकार :–

7.1– स्टार्ट् अप इकाईयों को उपाबंध–1 अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ अधोलिखित सूची में अंकित दस्तावेजों को संलग्न कर संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में पूर्णरूपेण आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति "उपाबंध– 2" में निर्धारित प्रारूप पर दी जावेगी, जिसमें आवेदन के पंजीयन क्रमांक का भी उल्लेख होगा। अपूर्ण आवेदन अधिकतम 7 दिवस की अवधि में एक बार में ही कमियां बताते हुए वापिस किये जावेंगे। त्रुटिपूर्ण होने के कारण इस तरह लौटाये गये प्रकरण उद्यमी द्वारा पूर्ण कर पुनः प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति "उपाबंध– 2" में निर्धारित प्रारूप पर दी जावेगी।

(1) उद्यम आकांक्षा

(2) सक्षम् अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

(3) किरायेनामा से संबंधित अनुबंध पत्र।

(4) किराये भुगतान की रसीद (प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर)।

(5) [illegible]

7.2—पात्र स्टार्ट अप इकाई द्वारा पूर्णरूपेण आवेदन प्राप्त होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा उपाबंध 2 में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जावेगी ।

7.3—किराया अनुदान प्राप्त करने हेतु वैध स्टार्ट अप पंजीयन प्राप्त करने के उपरांत/इस अधिसूचना जारी होने के दिनांक/किराये पर शेड/भवन/मकान लेने का दिनांक, जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर प्रथम क्लेम का आवेदन संबंधित मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोप्रस्तुत करना होगा ।

निर्धारित कालावधि के पश्चात प्रस्तुत किया गया प्रथम स्वत्व यथास्थिति सक्षम अधिकारी उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग— उद्योग संचालनालय/ मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अधिकतम तीन माह की अवधि तक गुण दोष के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा ।

पश्चात्वर्ती प्रत्येक त्रैमासिक क्लेम अगले त्रैमास के अंत से पूर्व तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

7.4—मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा स्टार्ट अप इकाईयों के क्लेम प्रकरणों का परीक्षण सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से करवाकर "उपाबंध—3" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा । स्वत्व नियमानुसार न होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के "निरस्तीकरण" का कारण व निरस्तीकरण आदेश से स्टार्ट अप इकाई के सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित कालावधि 45 दिवसों में अपीलीय अधिकारी को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख आवश्यक होगा ।

7.5—किराया अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा बजट उपलब्ध होने पर किराया अनुदान के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर किया जावेगा ।

7.6— जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

7.7— बजट आबंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि सीधे औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेलटमेंट) पद्धति अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की पद्धति अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करना होगा । अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी।

7.8— बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान राशि देने में होने वाले विलंब का कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

7.9—राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार के सत्यापन की प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/ उसंचा—रा/ 2005/ 9766—81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जावेगी ।

7.10— भारत शासन/ राज्य शासन या किसी अन्य राज्य शासन के निगमों/ मंडलों/ संस्थाओं /बोर्ड द्वारा स्थापित स्टार्टअप को अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

7.11– यह आवश्यक है कि स्टार्टअप में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 03 वर्षों की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/ प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो ।

7.12–यदि भारत शासन/ राज्य शासन या इसके किसी निगम/ बोर्ड / मंडल /आयोग/वित्तीय संस्था/बैंक से किराया अनुदान प्राप्त किया गया हो, तो इस अधिसूचना के अर्न्तगत पात्रता नहीं होगी।

8 किराया अनुदान की वसुली :–

8.1– किराया अनुदान की राशि स्टार्टअप को स्वीकृत/वितरित हो जाने के पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि स्टार्टअप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से की जा सकेगी ।

8.2– उपरोक्तानुसार वसूली राशि भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सामान की जा सकेगी ।

8.3– स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि किराया अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि किराया अनुदान की राशि भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

8.4– स्टार्टअप इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त कंडिका क्रमांक 7.11 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है, अनुदान की राशि संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी, भविष्य के क्लेमों में समायोजित की जा सकेगी।

8.5– उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर इकाई द्वारा न दी जाये ।

8.6– यदि इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो।

8.7– उपर्युक्त बिन्दु 8.1 से 8.6 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जाऐंगे ।

9 अपील /वाद :–

9.1– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील संचालक/ उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी ।

9.2– अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अर्थात् द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) सचिव, राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

9.3– अपील शुल्क रूपये 500 का भुगतान करने पर ही अपील ग्राह्य होगी । अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा। द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा ।

9.4– अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा।

9.5– अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

10 <u>अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व</u> :–

(1) स्टार्टअप औद्योगिक इकाई को किराया अनुदान की प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा ।

(2) उपरोक्त (1) की अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र0 3.10 में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा ।

11 स्वप्रेरणा से निर्णय :–

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग प्रमुख सचिव/सचिव/उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें/स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

12 कार्यकारी निर्देश :

अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग सक्षम होंगें । अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा ।

13 नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

14 इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

15 योजना का कियान्वयन

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 20–36/2017/11/6 नया रायपुर दिनांक सितम्बर, 2017.

प्रतिलिपि :–

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ.ग. रायपुर
2. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, रायपुर
   कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करवाने का कष्ट करें तथा उसकी 200 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करायें।
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला छ0ग0

   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

(नियम 4.1)
(किराया अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1– स्टार्ट अप इकाई का नाम व पता –

2– इकाई का कार्य स्थल–

स्थान –
विकास खंड –
जिला –

3– उद्यम आकांक्षा क्रमांक –

4– वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक– (यदि लागू हो)

4.1 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (स्थापित/प्रस्तावित)

4.2 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक/ –

4.3 स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) –

6– किराये पर शेड/भवन/मकान लेने संबंधी विवरण–

7– किराये पर किया गया व्यय–

(किराये की राशि में मूल किराया ही सम्मिलित होगा, पेनाल्टी, ब्याज, संधारण चार्ज, विद्युत व्यय, जल व्यय व अन्य कर सम्मिलित नहीं किये जावेंगे।)

8– क्लेम राशि –

9– **रोजगार–**

श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार/ प्रस्तावित रोजगार	प्रदत्त / प्रस्तावित रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4
अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स			
कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स			
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ ..... ब ..... स			
योग			

स्थान :
दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
इकाई का नाम व पता
सील

घोषणा पत्र

मै..... आत्मज..... प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, स्टार्टअप इकाई ....जिसका पंजीकृत पता .... है व ..... में स्थित है व उद्यम आकांक्षा कमांक..... ..दिनांक ..... एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक..... दिनांक .... है, निम्नानुसार शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ –

1– इकाई .....द्वारा ..... की स्थापना हेतु ..... क्षेत्र में शेड/भवन/मकान किराये पर प्राप्त किया है

2– आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी सही है।

3– औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार /राज्य शासन/ वित्तीय संस्थाओं /बैंकों की किसी योजना के तहत किराया अनुदान प्राप्त नहीं किया है

4– यह भी घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में ''किराया अनुदान'' प्राप्त करने के दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से न्यूनतम 03 वर्ष तक अकुशल, कुशल एवं प्रशासकीय/प्रबंधकीय वर्ग में क्रमशः 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 33 प्रतिशत राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

5– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर या स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा किराया अनुदान स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय निर्धारित 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के वापस की जावेगी ।

स्थान :
दिनांकः

हस्ताक्षर
नाम
पद
इकाई का नाम व पता
सील

"उपाबंध–2"

(नियम 4.1)
(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

मेसर्स ..... पता.....
..... द्वारा **किराया अनुदान** .....का
आवेदन दिनांक..... (अक्षरी)..... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण
का पंजीयन कमांक ..... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का
उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय सील

प्रति,

.....
.....
.....

उपाबंध–3

(नियम 4.4)

किराया अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ...

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक ..... के अन्तर्गत)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक दिनांक की कंडिका "5.4" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **किराया अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– स्टार्ट अप इकाई का नाम व पता :

2– इकाई का कार्यस्थल

(स्थान, विकास खंड व जिला)

3– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (स्थापित / प्रस्तावित)

4– भुगतान किये गये किराये की राशि

7.1 अवधि दिनांक ..... से ..... तक

7.2 किराया राशि – .....

5– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– ..... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी –

मांग संख्या– .....

.....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा ।

मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र